न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 123 / 2024

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. प्रभूराम पुत्र हरचन्दराम		1. रावताराम पुत्र सोनाराम
2. अखूदेवी पत्नि हरचन्दराम		2. केहराराम पुत्र भूराराम
3. केसाराम पुत्र आसूराम		3. खेताराम पुत्र भैराराम
4. चिमनाराम पूत्र आसूराम		4. देदाराम पुत्र सोनाराम
5. धरमाराम पुत्र आसूराम		5. देवाराम पुत्र भूराराम
6. बाबूराम जाट निवासी		6. धनाराम पुत्र सोनाराम
जशनाथ नगर तहसील		7. प्रभुराम पुत्र. भूराराम
सिणधरी जिला बालोतरा		8. वरजू पत्नि. भैराराम
		9. हडुमानराम पुत्र सोनाराम
		10. इमियोदवी पत्नि नवलाराम
		11. खेमाराम पुत्र रतनाराम
		12. चेतन चौधरी पुत्र नवलाराम
		13. पूनमाराम पुत्र जेहाराम
		14. मीरों पत्नि रतनाराम
		15. राणाराम पुत्र रतनाराम
		16. लुम्बाराम पुत्र रतनाराम
		17. हडुमानराम पुत्र जेहाराम
		18. आईदानराम पुत्र मेघाराम
		19. उमाराम पुत्र मेघाराम
		20. चौलाराम पुत्र सुखाराम
		21. झीमो पुत्री सुखाराम
		22. बाबुराम पुत्र सुखाराम
		23. भोमाराम पुत्र भैराराम
		24. अणछी पत्नि दलाराम
		25. अणदाराम पुत्र दलाराम
		26. कवराराम पुत्र दलाराम
		27. [illegible]
		28. दी[illegible] पु[illegible] [illegible]लाराम
		29. [illegible] पुत्र मुकनाराम
		30. मुकनाराम पुत्र शिवजीराम
		31. [illegible] विशनाराम
		32. रामूदेवी पुत्री चेनाराम
		33. रामाराम पुत्र विशनाराम
		34. रावताराम पुत्र विशनाराम
		35. वनाराम पुत्र दलाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:17:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

36. निम्बाराम पुत्र पूनमाराम
37. नैनाराम पुत्र पूनमाराम
38. बाबूराम पुत्र पूनमाराम
39. मंगलाराम पुत्र पूनमाराम
40. मालाराम पुत्र सीताराम
41. शंकराराम पुत्र पूनमाराम
42. धर्माराम पुत्र सीताराम
43. मगाराम पुत्र पेमाराम
44. जुगताराम पुत्र डालूराम जातियान जाट निवासी जशनाथ नगर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
45. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक –25.09.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई ग्राम जशनाथ नगर के खेत खसरा संख्या 13, 24, 9 रकबा क्रमशः 0.9384 हैक्टेयर, 4.5628 हैक्टेयर, 10.6626 हैक्टेयर कुल रकबा 16.1638 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 337/25 रकबा 3.3978 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई ग्राम जशनाथ नगर के खेत खसरा संख्या 13, 24, 9 रकबा क्रमशः 0.9384 हैक्टेयर, 4.5628 हैक्टेयर, 10.6626 हैक्टेयर कुल रकबा 16.1638 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 337/25 रकबा 3.3978 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:17:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

- प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई ग्राम जशनाथ नगर के खेत खसरा संख्या 13, 24, 9 रकबा 0.9384 हैक्टेयर, 4.5628 हैक्टेयर, 10.6626 हैक्टेयर कुल रकबा 16.1638 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 337/25 रकबा 3.3978 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई ग्राम जशनाथ नगर के खेत खसरा संख्या 13, 24, 9 रकबा 0.9384 हैक्टेयर, 4.5628 हैक्टेयर, 10.6626 हैक्टेयर कुल रकबा 16.1638 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 337/25 रकबा 3.3978 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई ग्राम जशनाथ नगर के खेत खसरा संख्या 13, 24, 9 रकबा 0.9384 हैक्टेयर, 4.5628 हैक्टेयर, 10.6626 हैक्टेयर कुल रकबा 16.1638 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 337/25 रकबा 3.3978 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डड सहखातेदा है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बाबजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई [illegible] होता,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:17:11 IST
Reason: SelfAttested

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई ग्राम जशनाथ नगर के खेत खसरा संख्या 13, 24, 9 रकबा क्रमशः 0.9384 हैक्टेयर, 4.5628 हैक्टेयर, 10.6626 हैक्टेयर कुल रकबा 16.1638 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 337/25

उपखण्ड अधिकारी

रकबा 3.3978 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है.उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विपक्षीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकरेर कर की जावे। कमिश्नर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 25.09.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:17:11 IST
Reason: SelfAttested